Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 9, June-2019, ISSN 2230-7540

भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अध्ययन

Madhu*

Former Research Scholar, Department of Political Science, Singhania University, Pacheri Badi, Rajasthan (India)

सारांश: पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्रत की प्रथम पाठशाला है। यह मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। केन्द्र तथा राज्य शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक की निचले स्तर की लोकतान्त्रिक मान्यतायें शक्तिशाली न हो। लोकतंत्रीय राजनीति व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। इस व्यवस्था में लोग विकास कार्यों के साथ-साथ अपनी समस्याओं का समाधान स्थानीय पद्दति के द्वारा आसानी से करने का प्रयास करते है। इससे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों के संचालन का स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण स्वत: प्राप्त होता है। ये स्थानिय जनप्रतिनिधि ही कालान्तर में विधानसभा एवम् संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते है। अत: पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को विकसित कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कुंजी शब्द: हरियाणा, ग्रामीण पंचायती राज, संवैधानिक संशोधन

----------------------------------X----------------------------------

परिचय

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम: देश में पंचायतों का गठन कर शक्तियां एवम् अधिकार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग ढंग से दिए गए। कालांतर में राज्यों का रूप पंचायतों के प्रति उदासीन रहा। इससे राज्यों के अन्दर पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में असक्षम रही। सन् 1988 में ‘पी. के. थुंगन समिति’ का गठन पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।[1]

इस समिति की सिफारिश के आधार पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया। जिसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा के द्वारा नामन्जूर कर दिया गया।[2]

इसके बाद 16 दिसम्बर, 1991 को 72वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम विधेयक पेश किया गया जिसे ‘संयुक्त संसदीय समिति (प्रवर समिति) को सौंप दिया गया। इस समिति ने विधेयक पर अपनी सहमति जुलाई’ 1992 में दी और विधेयक के क्रमांक को बदलकर ‘73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम’ विधेयक कर दिया गया। जिसे 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा ने तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा ने पारित किया। 17 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदित किय जाने पर इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष पेश किया गया। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल, 1993 को इस पर अपनी सहमति दे दी और इसे 24 अप्रैल, 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पुरे देश में लागू कर दिया गया।[3]

आर्थिक एवम् राजनीतिक शक्तियों का निम्न स्तर (ग्राम) तक विकेन्द्रीकरण ही लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण है जिसे गांधी जी ने श्ग्राम स्वराजश् का नाम दिया तथा मूल संविधान के अनुच्छेद 40वें और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 में

बाद में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के अनुसार 5वें अनुसूचित क्षेत्रों तक भी बढ़ाया गया। यह अधिनियम ग्राम सभा व पंचायतों को न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने में सहायता करता है बल्कि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के पारंपरिक अधिकारों के सरंक्षण का अधिकार भी प्रदान करता है।[5]

www.ignited.in

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगो को 50 वर्ष के नियोजन और विकास से पर्याप्त लाभ न मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि विकेन्द्रित संस्थाओं के माध्यम से उनके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने और उसके प्रतिपादन में उन्हें शामिल न किया जाना था। राज्यों में जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण के क़ानूनी प्रावधान विधमान थे, वे पंचायतों के किसी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण अनेक राज्यों में पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से न होना था। 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 243 (घ) के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था

नए अनुरूपता अधिनियम की तारीखों का राज्यवार विवरण

क्रमांक	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	नए अधिनियम कि तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	21-04-94
2.	अरुणाचल प्रदेश	18-04-94
3.	असम	02-04-94
4.	बिहार	23-04-94
5.	गोवा	09-07-94
6.	गुजरात	26-08-93
7.	हरियाणा	22-04-94
8.	हिमाचल प्रदेश	23-04-94
9.	कर्नाटक	30-04-93
10.	केरल	23-04-94
11.	मध्य प्रदेश	25-01-94
12.	महाराष्ट्र	22-04-94
13.	मणिपुर	23-04-94
14.	पंजाब	21-04-94
15.	राजस्थान	23-04-94
16.	सिक्किम	11-10-93
17.	तमिलनाडू	24-04-94
18.	त्रिपुरा	07-11-93
19.	उत्तर प्रदेश	22-04-94
20.	पश्चिम बंगाल	22-04-94
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23-04-94
22.	चंडीगढ़	23-04-94
23.	दादरा और नगर हवेली	23-04-94
24.	दमन और दिव	23-04-94
25.	लक्ष्य द्वीप	23-04-94
26	पांडिचेरी	19-04-94
27.	उड़ीसा	01-11-93 (जड़. पी.) और (जी. पी. और पी. अस.)
28.	मेघालय	राज्य पर संविधान का 9वाँ भाग लागु नहीं है
29.	मिजोरम	
30.	नागालैंड	
31.	जम्मू और कश्मीर	
32.	दिल्ली	

स्त्रोत: 'पंचायती राज विकास रिपोर्ट, 1995', सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 67।

(पी. आर. अस.) के सभी तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन.जाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद-243(ण) के अनुसार हर पांच वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाने आवश्यक है।[6]

संविधान सभा में पंचायती राज के विषय पर सक्रिय बहस हुई तथा अनेक सदस्यों ने गाँवों और ग्राम पंचायतों को संविधान में उचित स्थान देने के महत्व पर बल दिया। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 31 (क) जोड़ा गया जो बताता है की राज्य, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्रत शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक होगी। इस अनुच्छेद को बाद में पुन: संख्याकित करके अनुच्छेद.40 किया गया तथा यह संविधान के राज्य नीती निर्देशक सिद्दान्तो का भाग बना।[7]

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243 की प्रमुख परिभाषाएँ:

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243 की प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित है जो इस प्रकार है:

- **जिला:** किसी भी राज्य का जिला अभिप्रेरित हैं।
- **ग्राम सभा:** ग्राम सभा किसी एक गाँव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँवों के लोगों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है।

www.ignited.in

- **मध्यवर्ती स्तर:** ग्राम और जिला स्तर वह मध्यवर्ती है, जिसे किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रायोजन के लिए लोक अधिकार सुचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिदृष्ट करे।

- **पंचायत:** ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद-243(2) के अधीन ग्रामीण स्वशासन की संख्या हैं।

- **जनसंख्या क्षेत्र:** ऐसी अनिन्त पूर्ववर्ती जो जनगणना की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है। जिसके सुसंगत आकड़े प्रकाशित हो गए है।

- **पंचायत क्षेत्र:** पंचायत एवम् प्रादेशिक क्षेत्र।

- **ग्राम:** राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना ग्राम के रूप मे विनिदृष्ट ग्राम अभिप्रेरित है। इसके अन्तगर्त इस प्रकार के ग्रामो का समूह भी विनिदृष्ट है।

पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली: इस परिप्रेक्ष्य को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित 29 विषय रखे गए हैं। इन 29 विषयों में यह सम्मिलित हैं।[8]

जिला परिषद् स्तर:

ग्रामीण स्वायत्त शासन की सर्वोच्च इकाई होने के कारण जिला परिषद् का मुख्य कार्य समन्वयकर्ता एवम् परामर्शदाता निकाय का है। साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह राज्य सरकार तथा निम्नस्तरीय पंचायतों के मध्य की कड़ी भूमिका निभाएगी। यदि प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य किया जाए तो जिला परिषद् पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था पर स्वस्थ्य प्रभाव डालकर वांछित परिवर्तन ला सकती है।

पंचायत समिति स्तर:

पंचायती राज की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत समिति वह धुरी है, जिसके चारों ओर पंचायती राज की समस्त पृवतियाँ केन्द्रित हैं। जिला परिषद् केवल एक परामर्शदात्री एवम् पर्यवेक्षी संस्था है। कार्यपालिका के समस्त वास्तविक अधिकार तथा कर्तव्य पंचायत समितियों में ही निहित हैं। विकास सम्बन्धी कार्यों एवम् योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व पंचायत समितियों का ही होता है। अपने कार्यों को अच्छे ढंग से चलाने हेतु पंचायत समितियों द्वारा अनेक स्थाई समितियों की स्थापना की जाती है, जिन्हें पंचायत समितियां अपने अधिकारों को उनके कार्यों के अनुसार सौंप देती हैं। इस प्रकार स्थाई समितियों के निर्णय पंचायत समिति के निर्णयों के समान माने जाते हैं परन्तु अंतिम अधिकार एवम् उत्तरदायित्व पंचायत समितियों के ही होते हैं।[9]

ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज:

ग्राम पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिलाएं हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता एवम् उसकी प्रभावपूर्ण क्रियान्वित पंचायतों की सुदृढ़ता एवम् शक्ति पर ही निर्भर करती है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा विविध तथा बहुमुखी कार्यों को सम्पन्न किया जाता है, जिनमें प्रमुख कार्य हैं

- प्रशासनिक कार्य
- कृषि एवम् वन्य संरक्षण सम्बन्धी कार्य
- सफाई एवम् स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य
- शैक्षिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धी कार्य
- सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य
- जनहित सम्बन्धी कार्य

देश के कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराए जाते हैं। केंद्र सरकार भी इस दिशा में राज्यों को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसके द्वारा राज्यों के उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करती है, जो इस कार्य से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में आए नए उत्तरदायित्वों के संबंध में सरकारी अमले को प्रशिक्षित करना है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में पंचायतों के मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति भी गठित की गई है। यह समिति पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है तथा इस सम्बन्ध में राज्यों को दिशा-निर्देश एवम् परामर्श भी प्रदान करती है। केवल केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि पंचायती राज के सम्बन्ध में वह राज्यों द्वारा की गई किसी भी गलती या उदासीनता के प्रति चेतावनी दे सकती है। देश में इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसी संस्था या संगठन नहीं है, जो इस संबंध में राज्यों को चेतावनी या निर्देश दे सके। राज्यों के विधायकों को यह अधिकार है कि वे पंचायतों के

चुनावों से संबंधित सभी मुद्दों को परिवर्तित कर सकते है या उन पर नियम.कानून बना सकते हैं।[10]

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताएं:

यह इस पृष्ठ संख्या भूमि के विरूद्व था कि संघ सरकार ने पंचायती राज प्रणाली के लिए एक संवैधानिक आधार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, परामर्शो तथा तरीके निकालने की प्रक्रिया शुरू की। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की मुख्य विशेषताओं को आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधो के रूप में वर्गीकृत किया गया जो इस प्रकार है[11:

आदेशात्मक उपबन्ध:

I. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना। जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँव से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हो।

II. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में, गाँव, मध्यवर्ती एवम् जिला स्तरों पर पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली की स्थापना।

III. पंचायत के सभी स्तरों पर सम्बन्धित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए लोग शामिल होंगे।

IV. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा।

V. पंचायत के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप के चुने गए सदस्यों से होगा।

IV. सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यकालों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण, पंचायतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। (ब्यौरा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-घ)

VII. सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यकालों के लिए महिलाओं का आरक्षण एक तिहाई से कम नहीं होगा। (ब्यौरा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-घ)

VIII. सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। यदि कोई पंचायत इस समय से पहले किसी भी कारण से खत्म हो जाती है तो छः महीनें के अन्दर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि छः महीनें से कम रह गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा।

IX. अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक या पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् राज्य वित आयोग का गठन करेगा। उपधारा (ख) भी संविधान के अनुच्छेद-280 में जोड़ी गई। इस उपधारा के अनुसार केन्द्रीय वित आयोग, राज्य सरकार के वित आयोग द्वारा की गई शिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संशाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवयश्क उपायों की सिफारिश अध्यक्ष करेगा।

X. पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करवाने में पर्यवेक्षण, निर्देशन एवम् नियन्त्रण के लिए चुनाव आयोग का गठन।

XI. यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद-244 की धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा (2) में निर्दिष्ट जन-जातिय क्षेत्रों में लागु नहीं होगा।

स्वविवेकी उपबंध:

चूंकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूचि के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य को पंचायतों के लिए शक्तियां, कार्य, अधिकार, वित आदि के हस्तांतरण की स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्मलिखित प्रावधान दिए गए है:

I. ग्राम सभा की शक्तियाँ एवम् कार्य।

II. मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में ग्राम पंचायत के अध्यक्षों एवम् जिला स्तर पर पंचायतों में

www.ignited.in

मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता।

III. मध्यवर्ती एवम् जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य एवम् विधान परिषद् के सदस्य की सदस्यता।

IV. ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम।

V. पंचायती राज प्रणाली (पी. आर. अस.) की विभिन्न श्रेणीयों पर सदस्यता के साथ-साथ अध्यक्षता के लिए नागरिकों के पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थानों का आरक्षण।

VI. पंचायतों में निहित शक्तियाँ, अधिकार एवम् उतरदायित्व देना, जो उनके लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है और निम्मलिखित के संन्दर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियाँ एवम् उतरदायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान करना।

(क) आर्थिक विकास एवम् सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।

(ख) संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवम् सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उनको सौंपना।

VII. पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तरों द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व कर के बंटवारे को उगाहने की सुपरिभाषित पद्दति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फ़ीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को लागू करना। प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए कर, शुल्क, पथकर का बटवारा करना। राज्य के संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना।

VIII. राज्य वित्त आयोग का गठन।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के लिए विस्तृत ढांचे की व्यवस्था करता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 243(छ) में दिए गए प्रावधान अनुसार पंचायतें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके। पंचायत प्रणाली की एक समान तीन स्तरीय सरंचना, प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण आदि राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान किए गए है। परन्तु शक्तियों, अधिकार और वितीय संसाधनों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।[12]

73वें संविधान संसोधन अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन:

राज्य की विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने-अपने पंचायती अधिनियमों को केन्द्रीय विधान के अनुरूप लागू होने के एक वर्ष के अन्दर 24 अप्रैल, 1994 तक संशोधित कर ले। 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों ने संशोधित अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए लागू नहीं था क्योंकि ये राज्य छठी अनुसूचि के क्षेत्रों का भाग है।

संविधान के अनुच्छेद-370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अहसियत प्रदान करता है और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के उपबंध इस राज्य पर लागू नहीं होता है। संघ शासित प्रदेशों में से यह दिल्ली पर लागु नहीं है क्योंकि इसमें केवल शहरी जनसंख्या ही शामिल है।

संविधान की ग्यारवीं अनुसूचि में 29 विषय दिए गए है जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपें जा सकते है। इन्हें मोटे तौर पर नियमानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-

I. लघु उधोग उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियाँ जैसे: कृषि, पशु-पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कुटीर उधोग, ईंधन, चारा और सिंचाई सहित;

II. भू-विकास कार्यक्रम: भू-सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिचाई, जल प्रबन्धन तथा जल संभार विकास, परती भूमि विकास, सामाजिक वन विधा और चारागाह;

III. कमज़ोर वर्गो के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए ग़रीबी उन्मूलन सम्बंधित कार्यक्रमय

IV. नागरिक सुविधाएं जैसेः पेयजल, ग्रामीण विधुतीकरण, गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत, ग्रामीण सड़के, पुल-पुलियाँ, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य आदि उपलब्ध करवाना;

V. शिक्षा एवम् सांस्कृतिक गतिविधियां जैसेः प्राथमिक पाठशाला, तकनिकी शिक्षा तथा पुस्तकालयय

VI. समाज कल्याण-महिलाओं और बाल विकास का कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों की देख-रेख करनाय

VII. सामुदायिक परिसम्पत्तियों और सामाजिक वितरण प्रणाली का रख-रखावय

VIII. ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन करना तथा उन्हें नियन्त्रण करना।[13]

'73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के 243 अनुच्छेद के विभिन्न भाग

73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग-9 में अनुच्छेद-243 के अन्तर्गत 243(क) से लेकर 243(ण) तक एक अनुसुची-11 जोडी गई जो सभी पंचायती राज से सम्बन्धित है। अनुसूची-11 में कुल 29 विषय है जिन पर पंचायत कानून बना सकती है।

क्रमांक	**अनुच्छेद**	**विवरण**
1	अनुच्छेद 243	परिभाषाएं
2.	अनुच्छेद 243 (क)/A	ग्राम सभा
3.	अनुच्छेद 243 (ख)/B	ग्राम पंचायतों का गठन
4.	अनुच्छेद 243 (ग)/C	पंचायतों की संरचना
5.	अनुच्छेद 243 (घ)/D	स्थानों का आरक्षण
6.	अनुच्छेद 243 (ङ)/E	पंचायतों के कार्यकाल या अवधि
7.	अनुच्छेद 243 (च)/F	सदस्यता के लिए अयोग्ताएँ
8.	अनुच्छेद 243 (छ)/G	पंचायतों कि शक्तियाँ, अधिकार और उतरदायित्व
9.	अनुच्छेद 243 (ज)/H	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने कि शक्तियाँ और नीतियां
10.	अनुच्छेद 243 (झ)/I	वितीय स्थिति के पुनविर्लोकन के लिए वित आयोग का गठन
11.	अनुच्छेद 243 (ञ)/J	पंचायतों कि लेखा कि सपरिक्षा
12.	अनुच्छेद 243 (ट)/K	पंचायतों के लिए निर्वाचन
13.	अनुच्छेद 243 (ठ)/L	संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना
14.	अनुच्छेद 243 (ड)/M	इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना
15.	अनुच्छेद 243 (ढ)/N	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
16.	अनुच्छेद 243 (ण)/O	निर्वाचन सम्बंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तपेक्ष का वर्णन

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद-243 के विभिन्न भाग निम्मलिखित है जो इस प्रकार है:-

1. 243 (क) ग्राम सभा: ग्राम सभाए ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्य का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए।

2. 243 (ख) पंचायतों का गठन: प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवम् जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। किन्तु उन राज्यों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन नहीं किया जाएगा।

3. 243 (ग) पंचायतों की सरंचना:

- राज्य को विधान मंडलों की विधि द्वारा पंचायतों की सरंचना को उपलब्ध कराने की शक्ति प्रदान की गई। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत के निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या

के बीच के अनुपात समस्त राज्यों में समान ही होगा।

- पंचायतों के सभी स्थान, पंचायती राज के क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों मे विभाजित किया जाएगा की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके आवरतित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र के एक समान ही होगा।

- ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा निहित करे। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किया जाएगा।

- **राज्य की विधान मंडल विधि द्वारा:**

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है, उनको जिला स्तर पर पंचायतों में,

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में,

(ग) लोकसभा के सदस्यों और राज्य की विधानसभा के सदस्यों के जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है। जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णत: समाविष्ट है ऐसी पंचायत में,

(घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों के अन्दर से,

(I) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान कर सकेगा।

(II) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत है, जिला स्तर पर पंचायत में,

- किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा जो पंचायत क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से (चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा) चुने गए है।

- (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा,

- (ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत या अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाएगा।

4. 243 (घ)- स्थानों का आरक्षण

1. प्रत्येक पंचायत में-

(क) अनुसूचित जातियों और

(ख) अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम विधि द्वारा बांटें जा सकेगें।

2. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियो के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थानों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन.जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें।

3. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के एक-तिहाई स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम विधि द्वारा बांटें जा सकेगें।

4. ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की महिलाओं के लिए, राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उपबंधित करके आरक्षित रहेगा। परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की संख्या से यथाशक्य वहीं होगा, जो

उस राज्य की अनुसूचित जातियों की या अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें। परन्तु इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम विधि द्वारा बांटी जाएगी।

5. खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण (जो महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद-334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

6. इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत के पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों या पंचायतों में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

5. 243 (ड) पंचायतों का कार्यकाल:

1. पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित कर दिया जाता है तो वह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन या किसी स्तर पर ऐसी पंचायत, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगी जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

3. किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन.

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान के पूर्वय

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह महीनें की अवधि के अवसान से पहले पूरा किया जाएगा, परन्तु जंहा शेष अवधि के लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है तथा वह छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन किसी भी प्रकार का निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।

6. 243 (च) सदस्यता के लिए योग्यताएँ-

1. कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्म योग्ताओं से परिपूर्ण है:

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल के निर्वाचकों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, अपितु उसकी इक्कीस वर्ष की आयु आवश्यक है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

2. यदि यह प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) से वर्णित किन्ही योग्यताओं से ग्रस्त हो गया या नहीं, वह प्रश्न ऐसी प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से जैसा राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

7. 243 (छ) पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व

संविधान के उपबंधो के अधीन रहते हुए राज्य श्विधान मण्डल विधिश् द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए भी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। निम्मलिखित के संबंध में शाक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेगे.

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करनाय

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अन्तर्गत वें योजना

www.ignited.in

भी है जो ग्याहरवी अनुसुचि में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, आदि को क्रियान्वित करना।

8. 243 (ज) पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियां

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243 (ज) पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियां निम्म है:

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तो तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समानुदेशित कर सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन संशाधनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा उनमें धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए।

9. 243 (झ) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

1. राज्य के राज्यपाल, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के अन्दर या इसके पश्चात् प्रत्येक पांचवे वर्ष के आवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिये एक वित्त आयोग का गठन करेंगे,

(क)(I) राज्य द्वारा लागू किए कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्व आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण करने;

(II) पंचायतों द्वारा लगान एवम् वशुल किए गए कर, शुल्क, पथकर और फीस का विनियोजन करने;

(III) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों की सहायता अनुदान देनेय

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवयश्क उपायय

(ग) कोई अन्य विषय, जो पंचायतों के वित्तपोषण के हित में हो, उसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल आयोग सिफारिशों को पूर्ण विवरण के साथ ज्ञापन राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएंगे।

10. 243 (ज) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा.राज्य का विधान-मण्डल:

मण्डल, पंचायतों द्वारा लेख बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने संबंधी नियम बना सकेगे।

11. 243 (v) पंचायतों के लिए निर्वाचन.

(1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामवली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियत्रण करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा।

12. 243 (ण) निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन:

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-

(क) अनुच्छेद 243 (V) के अधीन बनाई गई विधि जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के बंटवारे से सम्बधित है, विधि मान्यता को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगीय

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे अधिकारी और रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध है या नहीं।

2. (क) अनुच्छेद 280 का संशोधन- संविधान के अनुच्छेद-280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्मलिखित उपखण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्- “(ख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई शिफरिशें के आधार पर राज्य में पंचायतों के साधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किया जाएगा”।[14]

पंचायत अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पेसा):

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 244(2) के अन्दर सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन हेतु अलग विधानसभा लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों के क्रियान्वयन में भारत का राष्ट्रपति देश के प्रत्येक राज्य को जन-जाति बहुल क्षेत्रों की पहचान करने को कहता है। राज्यों द्वारा चिन्हित किए गए इस प्रकार के क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची में घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए जाते है तथा जन-जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है।

73वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद-243 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन को प्रभाव में लाना था। कई राज्यों, जिनमें महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र (मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश) पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं, उनके अन्दर इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन को विस्तारित किया गया। इस सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई और न्यायालय ने तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप किया और संसद को निर्देश दिया कि अनुसूची-V में आने वाले क्षेत्रों के स्थानीय शासन के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।[15]

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद संसद ने देश के पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों तक पंचायती राज को लागू किया। इस सम्बन्ध में अनुशंसा प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के सांसद 'दिलीप सिंह भूरिया' की अध्यक्षता में सांसदों तथा विशेषज्ञों की एक विशेष समिति गठित की गई।

भूरिया कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर, संसद ने वर्ष 1996 में, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत हेतु 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुलग्नक के आधार पर एक विशेष प्रावधान का उल्लेख करने के लिए अलग कानून पारित किया। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने जिसने वर्ष 2000 में चुनाव आयोजित किए पंचायत विस्तारित अधिनियम के विशेष प्रावधानों के कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।[16]

इस अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष शक्तियां प्रदान की, जो कि सामान्य क्षेत्रों में ग्राम सभा को दी गई शक्तियों से भिन्न थी। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश में पंचायत सम्बन्धी राज्य अधिनियम प्रावधान किए कि ग्राम सभा का गैर-निर्वाचित जन-जाति सदस्य ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती शासन को प्रदान की गई शक्तियां निम्न हैं.

- ► प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की शक्ति
- ► रीति-रिवाजों, प्रथाओं तथा परम्पराओं की संरक्षा एवम् प्रशिक्षण की शक्ति
- ► समुदाय के संसाधनों को व्यवस्थित करने की शक्ति
- ► परम्परागत पद्धति से विवादों का समाधान करने की शक्ति
- ► ऋण प्रदान करने वाले व्यावसाय को नियंत्रण करने की शक्ति

इस अधिनियम ने संविधान के पंचायत सम्बन्धी भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया। संसद द्वारा इसे भारतीय गणतंत्र के 47वें वर्ष में लागू किया गया, जो इस प्रकार है-

- ► यह अधिनियम पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 कहा जाएगा।
- ► इस अधिनियम में जब तक कि इस संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, अनुसूचित क्षेत्रों से तात्पर्य है कि अनुसूचित क्षेत्र जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है।
- ► संविधान के भाग-IX में पंचायत संबंधी प्रावधान, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, धारा 4 में प्रस्तुत किए गए अपवादों और संशोधनों के तहत होंगे।
- ► संविधान के भाग IX में किसी भी बात के होते हुए भी राज्य का विधान मण्डल इस भाग के तहत कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो निम्न में से किसी भी बात से असंगत हो।
- ► राज्य विधान मण्डल द्वारा पंचायत संबंधी बनाए गए कानून परंपरागत नियमों, सामाजिक एवम् धार्मिक कर्तव्यों और सामुदायिक संसाधनों के परम्परागत प्रबंधन पद्धतियों के आनुरूप्य हो।

- एक गाँव में साधारण रूप से बने आधिवास या आधिवासों का समूह आता है जिसमें एक समुदाय रहता है और अपने मामलों का परम्पराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप प्रबंधन करता है।
- ग्राम स्तर पर प्रत्येक गाँव में पंचायत हेतु बनी निर्वाचक नामवली में शामिल व्यक्तियों से बनी एक ग्रामसभा होगी।
- प्रत्येक ग्रामसभा लोगों की परम्पराओं एवम् रीति-रिवाजों की रक्षा, संरक्षण तथा विवादों का परम्परागत पद्धति से निपटारा करने में सक्षम होगी।

पंचायतों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन:

अनुच्छेद-329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगी कि वे अनुच्छेद 243(V) के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के बंटवारे से सम्बंधित किसी विधि की वैधानिकता की परीक्षा करें। पंचायत का निर्वाचन, निर्वाचन-अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जा सकेगा जो ऐसे प्राधिकारी या रीति से प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए।[17]

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

1. गीता और संजय मिश्रा, 'भारत में पंचायती राज संस्थाएं: संभावनाओं एवम् पूर्व प्रभावी', जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस, 2016, 3(21), पृष्ठ संख्या 73।

2 एलीथाभा, के. अन, 'पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुधार', कुरुक्षेत्र 1998।

3. जैन, अस. पी., 'ग्राम सभा-टास्क बिफोर दा नेशन', कुरुक्षेत्र, 1999।

पंचायती राज संस्थाओं का तात्पर्य ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं से है। इस संसोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया।[4]

4. प्रकाश, जी. और प्रमाणिक, आर., 'महिला अधिकारिता और पंचायती राज: मध्य प्रदेश का एक प्रयोग सिद्द अध्ययन', अम्बेडकर जर्नल ऑफ़ सोशल डेवलपमेंट जस्टिस, 2006, 14(1), पृष्ठ संख्या 109।

5. बिद्यूत, 'पंचायती राज: 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम और महिलाएं', साप्ताहिक राजनीतिक, 1995, 30(52), पृष्ठ संख्या 3346।

6. वारीक़, सी. और उमेश साहू, 'पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2008।

7. शुक्ला, अन. पी., 'भारत में स्थानीय स्वशासन', नवयुग पुस्तक इंटरनेशनल, दिल्ली, 2011।

8. दुबे और मुन्नी पदालिया, 'डेमोक्रेटिक डीसेण्टरलाईजेसन् एंड पंचायती राज इन इंडिया', अम्बिका पब्लिशर, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 31-44।

9. कह्लोंन, पी. के., '73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम और महिला अधिकारिता: पंजाब का एक अध्ययन', पंजाब जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल, 2004, 1(28), पृष्ठ संख्या 101।

10. विनोद व्यसुला, 'पंचायती डेमोक्रेटिक एंड डवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2003, पृष्ठ संख्या 26।

11. सुन्दर राम, 'पंचायती राज रिफॉर्म्स इन इंडिया: पॉवर टू दा पीपल अट दा ग्रास रूट', कनिष्क पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ संख्या 52।

12. गोयल, अस. अल. और रजनीश शालिनी, 'भारत में पंचायती राज: सिद्दान्त और अभ्यास', दीप और दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003।

13. मथेव, जी., 'भारत में पंचायती राज', इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट्स पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, 2000।

14. सतीश, अन., और हुमडून, अस. आई., 'पंचायती राज में दलित अधिकारिता', दा जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस रिसर्चर, 2016, 5(2), पृष्ठ संख्या 21।

www.ignited.in

15. राज, मनोज और मनाली नम्बीयर, 'दा स्टेट ऑफ़ पंचायत: ए पार्टिसिपेशन', समस्कृति पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ संख्या 87।

16. घोष, बुधदेब और गिरीश कुमार, 'स्टेट पॉलिटिक्स एंड पंचायती राज इन इंडिया', मनोहर पब्लिशर्स, दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या 73।

17. हरेन्द्र सिन्हा, 'पंचायती राज', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016।

Corresponding Author

Madhu*

Former Research Scholar, Department of Political Science, Singhania University, Pacheri Badi, Rajasthan (India)

ajayindorakuk@yahoo.com